



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062021-227486
CG-DL-E-11062021-227486

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2051]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2021/ज्येष्ठ 19, 1943

No. 2051]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2021/JYAISTHA 19, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2021

का.आ. 2211(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट नव प्रस्तावित दिल्ली-लुधियाना-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के किमी. 554 किमी. से 567 किमी तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में नव प्रस्तावित दिल्ली-लुधियाना-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उपायुक्त जम्मू	राष्ट्रीय राजमार्ग	जम्मू और	जम्मू	डंसल	1 डाइमी

		संख्या Newly Proposed के कि.मी. 554 से 567 तक	कश्मीर		
--	--	--	--------	--	--

[फा. सं. NHAI/PIU-Ramban/2019-21/11006]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th June, 2021

S.O. 2211(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 554 to Km. 567 Newly Proposed in the stretch of land from Delhi-Ludhiana-Amritsar-Katra Expressway for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the U.T of JAMMU & KASHMIR.

SCHEDULE

Land acquisition on N.H no. Newly Proposed in the stretch of Delhi-Ludhiana-Amritsar-Katra Expressway in the U.T of JAMMU & KASHMIR.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Commissioner Jammu	554KM To 567KM	JAMMU & KASHMIR	JAMMU	Dansal	1 Dhayami

[F. No. NHAI/PIU-Ramban/2019-21/11006]

RAJESH GUPTA, Director